

कार्यालय जिला पंचायत, उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)

zp-kanker.cg@nic.in

Office Tel. No. 07868-241282, Fax No. 07868-241482

--0 आदेश 0--

क्रमांक/ 13029/जि.पं./व्या.पंचा./भर्ती/2016-17 कांकेर,

दिनांक 13/12/2017

आयुक्त सह संचालक, पंचायत संचालनालय 36 सी. ब्लाक - 2द्वितीय तल , इन्द्रावती भवन , नया रायपुर के पत्र क्रमांक / पंचा./ शिक्षा/ 2017/287 नया रायपुर दिनांक 20.07.2017 द्वारा उपलब्ध कराए गए रिक्त पदों पर, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डी.के.एस.भवन, मंत्रालय, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2012/1162 रायपुर दिनांक 17.08.2012 तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 01 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) सहपठित धारा 70 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के पालन में अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा जारी विज्ञापन पश्चात प्राप्त आवेदनों के परीक्षण एवं दावा आपत्ति निराकरण के आधार पर तैयार मेरिट सूची अनुसार छानबीन समिति की अनुसंशा एवं सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन पश्चात अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों एवं अन्य वांछित अभिलेखों के सत्यापन उपरांत प्रक्रिया अनुसार अंतिम चयन सूची जारी की गई । विषयवार आरक्षण रोस्टर अनुसार चयनित अभ्यर्थी को व्याख्याता (पंचायत) के पद पर कॉलम नम्बर 09 में उल्लेखित प्रवर्ग से कॉलम नम्बर 05 में अंकित विषय के लिये कॉलम नम्बर 06 में दर्शित विद्यालय तथा कॉलम नम्बर 07 में अंकित विभाग के अन्तर्गत प्रतिमाह वेतनमान 5300-150-8300 तथा समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते जो देय हो, अधोअंकित शर्तों के अधीन आगामी आदेश पर्यन्त अस्थायी रूप से पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र.	अभ्यर्थियों के नाम	लिंग (म./पु.)	वर्ग जाति	विषय	पदस्थापना शाला का नाम	विभाग	बी.एड.	आरक्षण प्रवर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
अनारक्षित								
1	दीपमाला साहू / श्री कमल कुमार साहू	म.	अपिव	जीवविज्ञान	शाउमावि कानापोड लखनपुरी, वि.ख.चारामा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित म
2	श्री नितीश कुमार साहू / श्री शिवकुमार साहू	पु.	अपिव	जीवविज्ञान	शाउमावि कुरुटोला, वि.ख. चारामा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित
3	श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा / श्री रोहित कुमार वर्मा	पु.	अपिव	जीवविज्ञान	शाउमावि शहवाड़ा, वि.ख. चारामा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित
4	अनिता / सहसराम	म.	अपिव	जीवविज्ञान	शाउमावि सिदेसर, वि.ख. कांकेर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित म
5	स्वदेश कुमार मांझी / स्वपना मांझी	पु.	सामान्य	जीवविज्ञान	शाउमावि माटोली, वि.ख. कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित
6	डामेश्वरी यादव / नारद यादव	म.	अपिव	जीवविज्ञान	शाउमावि नाथियानवागांव, वि.ख.कांकेर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित म
7	श्री शैलेश कुमार जायशवाल / श्री अशोक	पु.	अपिव	जीवविज्ञान	हाई स्कूल दसपुर, वि.ख. कांकेर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित दिव्यांग

5/12/17

8	श्री होमनलाल / श्री अशोक कुमार	पु.	अपिव	जीवविज्ञान	शा.बा.उमावि सरोना, वि. ख.नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित भू पू. सैनिक
अ.पि.व.								
9	श्री विष्णु कुमार / श्री इतवारी राम	पु.	अपिव	जीवविज्ञान	हाई स्कूल मांदरी, वि.ख. कांकेर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव
10	श्री तिलोक चन्द / श्री विष्णुराम	पु.	अपिव	जीवविज्ञान	हाई स्कूल चारभाटा, वि.ख. चारामा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव
11	श्री युगल किशोर / श्री पोषण लाल	पु.	अपिव	जीवविज्ञान	शाउमावि सारवंडी, वि.ख. नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव
12	नम्रता देशमुख / श्री अशोक देशमुख	म.	अपिव	जीवविज्ञान	हाई स्कूल भैसाकन्हार डू, वि.ख.भानुप्रतापपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव म.
अ.जा.								
13	श्री सनी / श्री चन्द्र कुमार मेरसा	पु.	अजा.	जीवविज्ञान	शाउमावि टेमा, वि.ख. नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजा मु.
अ.ज.जा.								
14	ममता / श्री गिरधारी	म.	अजजा.	जीवविज्ञान	हाई स्कूल बडेगौरी, वि.ख. चारामा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा म.
15	श्री युक्तेश कुमारधुव / श्री चिन्ताराम धुव	पु.	अजजा.	जीवविज्ञान	शाउमावि देवीनवागांव, वि. ख.नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा
16	निलिमा / भुपेन्द्र मण्डावी	म.	अजजा.	जीवविज्ञान	हाई स्कूल दवेना, वि.ख. नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा म.
17	श्री नरेन्द्र कुमार कंवर / श्री शिवराम सिंह	पु.	अजजा.	जीवविज्ञान	शाउमावि थानाबोडी, वि.ख. नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा
18	श्री भोजकुमार मानकर / श्री राम मानकर	पु.	अजजा.	जीवविज्ञान	हाई स्कूल साईमुण्डा, वि. ख.नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा
19	विनिता धुर्वे / श्री बलीराम धुर्वे	म.	अजजा.	जीवविज्ञान	हाई स्कूल भैसाकन्हार क, वि.ख.भानुप्रतापपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा म.
20	श्री मुक्तेश कुमार सूर्यवंशी / श्री लीला शंकर	पु.	अजजा.	जीवविज्ञान	शाउमावि कोडेकुसे, वि.ख. दुर्गकौदल	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा
21	धनकुवर / श्री कोमल नायक	म.	अजजा.	जीवविज्ञान	शाउमावि कोण्डे, वि.ख. दुर्गकौदल	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा म.
22	रीना / श्री गजानंद	म.	अजजा.	जीवविज्ञान	शाउमावि अमोडी, वि.ख. अंतागढ	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा म.
23	गीता ठाकुर / पोषण कुमार ठाकुर	म.	अजजा.	जीवविज्ञान	शाउमावि बोंदानार, वि.ख. अंतागढ	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा
24	जितेन्द्र कुमार कोमरे / कुवर सिंह कोमरे	पु.	अजजा.	जीवविज्ञान	शाउमावि बान्दे, वि.ख. कोयलीबेडा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा
25	श्री बैजूरामजी पावे / श्री रामजी पावे	पु.	अजजा.	जीवविज्ञान	हाई स्कूल बारदा, वि.ख. कोयलीबेडा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा

26	नम्रता / श्री रामकृष्ण	म.	अजजा.	जीवविज्ञान	शाउमावि माटोली, वि.ख. कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा
27	मनीषा / श्री भूलाराम	म.	अजजा.	जीवविज्ञान	हाई स्कूल हरनगढ़, वि.ख. कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा
28	खेमलता कंवर / श्री रामाधर कंवर	म.	अजजा.	जीवविज्ञान	हाई स्कूल बड़पारा, वि.ख. कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा
29	गीता / श्री थानसिंह	म.	अजजा.	जीवविज्ञान	हाई स्कूल देवागांव, वि.ख. नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.नहीं	अजजा दिव्यांग
30	वंदना / स्व श्री सी.आर. उईके	म.	अजजा.	जीवविज्ञान	शाउमावि सरन्डी, वि.ख. अंतागढ	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा भू.पू. सै. पद के
31	कंवल राम नरेटी / सागर राम नरेटी	पु.	अजजा.	जीवविज्ञान	शाउमावि कुरेनार, वि.ख. कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा भू.पू. सै. पद के

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

नियुक्ति संबंधी सेवा शर्तें निम्नानुसार होंगी :-

1. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) की जाति एवं प्रवर्ग से संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र अजा/ अजजा/ पिवर्ग/ विकलांग/ भूतपूर्व सैनिक होने के समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संबंधित संस्था एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पदभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।
2. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) को कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त मूल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र

(फिटनेस सर्टिफिकेट) इस कार्यालय के कक्ष क्रमांक 29 में मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा कार्यभार ग्रहण नहीं माना जावेगा।

3. संबंधित व्याख्याता (पंचायत) को 50 रूपये का स्टाम्प पेपर में खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना

होगा कि उनके द्वारा नियुक्ति से संबंधित प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाण पत्र एवं जानकारी पूर्ण रूपेण सत्य है। यदि प्रस्तुत दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र तथा अन्य जानकारी गलत पाये जाने पर बिना सूचना के उम्मीदवार की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

4. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) यथा स्थिति छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 के अन्तर्गत बने नियमों के अधीन नियम 10 के अन्तर्गत जिला पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में रहेंगे।
5. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) को नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में पदांकित शाला में अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करना होगा। किन्तु किसी भी स्थिति में पदांकित शाला के विरुद्ध परिवर्तन एवं अन्यत्र स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।
6. व्याख्याता (पंचायत) के कार्य एवं आचरण का आकलन प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा उनके कार्य/आचरण का आकलन संतोषजनक नहीं पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि की समय सीमा 05 वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी। फिर भी संबंधित की सेवाएं संतोषजनक नहीं पायी गयी तो सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
7. नियुक्ति व्याख्याता (पंचायत) की सेवाएं या तो व्याख्याता (पंचायत) द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता (पंचायत) को लिखित में एक माह पूर्व सूचना देकर या एक माह के वेतन का भुगतान करने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी।
8. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) का पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया नियमानुसार संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित व्याख्याता पंचायत से अनुप्रमाणन फार्म भरवाकर कराया जावेगा। पुलिस विभाग द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र शासकीय सेवा के योग्य नहीं पाये जाने पर संबंधित व्याख्याता (पंचायत) की सेवा तत्काल समाप्त की जायेगी तथा ऐसे व्याख्याता (पंचायत) के द्वारा प्राप्त वेतन भत्ते की राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जावेगी।

मि
13.12.17

